यालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2021

प्रकरण दर्ज तिथि :– 16.12.2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/176

मिश्रीलाल पुत्र श्री घीसाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी निम्बेडा कलां, तहसील रायपुर,

प्रार्थी

बनाम

1. आयचुकी पुत्र श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
2. आशा पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
3. उर्मिला पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
4. कमलादेवी पत्नि श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
5. कृष्णगोपाल पुत्र श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
6. गोगलीदेवी पत्नि श्री मुलाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी, निवासी पाटवा, जैतारण
7. गोपाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
8. चम्पालाल पुत्र श्री प्रताप, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
9. नारायण पुत्र श्री रामा, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
10. प्रमिला पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
11. पानी पुत्री श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
12. दिलीप पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
13. भबुतराम पुत्र श्री मुलाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी, निवासी पाटवा, जैतारण
14. भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
15. मेघाराम पुत्र श्री मुलाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी, निवासी पाटवा, जैतारण
16. मंजुदेवी पुत्री श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
17. मुन्नी पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
18. मैनादेवी पत्नि श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
19. मनोहरलाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
20. मोतीडी पुत्री श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
21. मोना पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
22. रूपाराम पुत्री श्री मुलाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी, निवासी पाटवा, जैतारण
23. श्यामलाल पुत्र श्री प्रताप, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
24. शेषमल पुत्र श्री प्रताप, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
25. शोभा पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
26. संतोष देवी पुत्री श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
27. सुन्दरी पुत्री श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
28. सुनिता पुत्री श्री मंगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
29. सरजी पुत्री श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
30. सोहनलाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी निम्बेडा कलां,
31. होनकी पुत्री श्री लालु, उम्र–वयस्क, जाति सरगरा, निवासी निम्बेडा कलां,
32. राज. सरकार वजरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय रायपुर

अप्रार्थीगण

गुलाब सिंह

यक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 अप्रार्थीगण संख्या 01 से 31 अनुपस्थित एवं अप्रार्थीगण सरकारी पैरवकार उपस्थित

—: <u>निर्णय</u> :— **दिनांक : 27.01.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा निम्बेडा कलां पटवार हल्का निम्बेडा कलां भु. अभि. निरि. देवली कलां तहसील रायपुर के खसरा नं. 306 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खरीदशुदा भुमि आई हुई है एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। जिनकी जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की ईमित्र की नकल तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त भुमि को विवादित भुमि कहा जायेगा। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 306 मे बिना किसी रोक टोक के अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 304 मे आवागमन कर रहे है। उक्त खसरा मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी मुख्य रास्ते खसरा नं. 35 से विवादित भुमि मे बिना रोक–टोक के नजरी नक्शे अनुसार अपने खेत मे आया जाया करते थे। प्रार्थी के कृषि के सम्बन्ध के साधन भी आ जा रहे थे। जो प्रार्थी लम्बे समय से एवं पुर्वजो के समय से आवागमन हेतु रास्ता उपभोग उपयोग करते थे जहा पर अप्रार्थीगण ने अपना हक अधिकार नहीं जताया ना ही वहा खेती की थी। जिस कारण लम्बे समय वक्त सेटलमेन्ट से ही वहाँ कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है एंव वहा पर सेटलमेन्ट से कदिमी रास्ता चला आ रहा है। प्राथी अपनी भुमि को कृषि कार्य करने आवागमन करने से खेत बोने मे निदान करने मे फसल घर ले जाने हेतु एवं बैक ऋण इत्यादि नही मिल पा रहे है प्रार्थी को आवागमन करने मे भी भारी समस्या का सामना पडता है क्योंकि अप्रार्थीगण की भुमि बीच मे आने से अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर लिया जाता है एवं चल रहे रास्ते का बंद कर दिया जाता है। जिस कारन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच बहुत बार लडाई झगडे का सामना करना पडता है। प्रार्थी की भुमि मे आने जाने का रेकडेर्ड रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। इसलिए भविष्य मे होने वाले वाद विवाद एवं मल्टी प्रोसेडिंग्स से बचने के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 306 मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नं. 304 मे से 30 फुट चोडा एवं मुख्य रास्ते से अपने खेत मे जाने तक लम्बा भुमि रास्ते मे उपयोग उपभोग की आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त भुमि को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके प्रार्थी को भविष्य मे कभी परेशानी का सामना नही करना पडे। प्रार्थीगण राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार राजस्थान कारताकारी अधिनियम की धारा 251 'A ' के अनुसार नया रेकर्डेड रास्ता माँगा जा रहा है एवं रास्ते मे अवाप्त होकर सिवाय चक किस्म बारानी अव्वल से गै. मु. रास्ता करवाने हेत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। गै. मु. रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को नियमानुसार जमा योग्य शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। जिससे उनको उनकी भुमि सार्वजनिक रास्ते होने से भुमि का नुकसान की भरपाई का मुआवजा मिल सके तथा प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पडे। प्रार्थी, अप्रार्थीगण व अन्य खातेदार उक्त सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा हक अधिकार नही जतायेगें। रेकडेर्ड रास्ते से प्रार्थी की भुमि मे आवागमन हेतु सबसे नजदीकी खसरा सं. 304 मे से होकर करना होता है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि पर आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण की भुमि मे से रेकडेर्ड रास्ता मांगा है। प्रार्थी अपनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

भुमि पर आवागमन हेतु उक्त भुमि मौके पर रास्ते के उपयोग मे काम आयेगी। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रमाणित है, विधि अनुरूप है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के ही पक्ष में है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में नियत न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि कृषि भुमि सरहद मौजा निम्बेडा कलां पटवार हल्का निम्बेडा कलां भु. अभि. निरि. देवली कलां तहसील रायपुर के खसरा नं. 306 रक्बा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खरीदशुदा खातेदारी भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि मे आने जाने हेतु मुख्य रास्ते से अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 304 मे नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर बने कदिमि रास्ते अनुसार अपने खेत मे आते जाते है परन्तु राजस्व रेकडेर्ड मे रास्ता नही होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी मे आने जाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड रहा है अप्रार्थीगण के खसरा नं. 304 खातेदारी भुमि कि किस्म गै. मु. गोचर से किस्म गै. मु. रास्ता के रूप मे घोषित करवाने का आदेश दिरावे। प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते मे हस्तान्तरण होने वाली भुमि का राजस्थान सरकार द्वारा तय मुआवजा देने को तैयार है। आदेश की तहरीर तहसीलदार रायपुर का पालना हेतु भिजवाई जावे। श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार गै. मु. रास्ता सार्वजनिक रहेगा। उक्त भुमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायलय मे पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 31 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें। अप्रार्थीगण संख्या 32 के की ओर से तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से उनके प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार पाया कि खसरा नम्बर 306 में आवागमन हेतु किसी प्रकार का रेकर्डेड रास्ता दर्ज नहीं हैं। खसरा नम्बर 306 में आवागमन करने में खातेदार को परेशानी होती हैं। ग्राम निम्बेडाकलां के खसरा नम्बर 306 में आवागमन हेतु सबसे नजदीकी रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 35 किस्म गै मु रास्ता से खसरा नम्बर 304 रकबा 1.6349 है. किस्म बारानी अव्वल में से नजरी नक्शे अनुसार रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। ग्राम निम्बेडाकलां के खसरा नम्बर 304 रकबा 1.6349 हैक्टेयर में से 297 फुट लम्बा एवं 30 फुट चौडा कुल 8910 वर्गफुट यानि 0.0828 हैक्टेयर भूमि रास्ता में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार रायपुर के द्वारा रास्ते मे दर्ज होने वाली भूमि की गणना राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जावे एव हम नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु सहमत है।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। बहस , मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 306 में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। इसीलिए ग्राम निम्बेडाकलां पटवार हल्का निम्बेडाकलां भू अभिलेख

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निरीक्षक देवलीकलां के खसरा नम्बर 304 रकबा 1.6349 हैक्टेयर में से 297 फुट लम्बा एवं 30 फुट चौडा कुल 8910 वर्गफुट यानि 0.0828 हैक्टेयर भूमि रास्ता दिये जाने की अनुंशषा की है। उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। अतः रास्ते की गणना, तहसीलदार रायपुर तहसील राजस्व लेखाकार से करवाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। नियमानुसार गणना राशि तहसीलदार रायपुर को जमा करवाने के बाद सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौका रिपोर्ट पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के ग्राम निम्बेडाकलां पटवार हल्का निम्बेडाकलां भू अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां के खसरा नम्बर 306 में आने जाने हेतु ग्राम निम्बेडाकलां पटवार हल्का निम्बेडाकलां भू अभिलेख निरीक्षक देवलीकलां के खसरा नम्बर 304 रकबा 1.6349 हैक्टेयर में से 297 फुट लम्बा एवं 30 फुट चौडा कुल 8910 वर्गफुट यानि 0.0828 हैक्टेयर रास्ते की भूमि का रकबा बनता हैं, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की खातेदारी हैं। अतः इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु राज्य सरकार के नाम सिवाय चक गै. मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर 304 में किस्म बारानी अव्वल से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ में यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिया जाने वाली रास्ते का राजस्थान सरकार द्वारा तयशुदा नियमानुसार राशि प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को प्रभावित अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। संबंधित अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्ध नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)